

(To be Published in Part IV of the Delhi Gazette Extra-ordinary)
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER: FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

NO.F.3(4)/2009/F&S/P&C 26

Dated: 20th April 2009

ORDER

NO.F.3(4)/2002/F&S/P&C. Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi has rescinded the Delhi Sugar Dealers Licensing Order, 1963 vide Order No F.3(4)/2002-F&S/P&C(2)/19 dated the 20th June 2002;

And whereas the Central Government vide Ministry of Consumer Affairs, food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs vide Notification S.O 649(E) dated 9th March 2009 has issued the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order 2009 and its clause 2,3 and 4 provide as under:-

2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodity, namely, Sugar for a period of four months from the date of issue of this Order or further Order, whichever is earlier.
3. Nothing contained in this Order shall affect the transport, distribution or disposal of Sugar to places outside the State, nor shall it be applicable to import of this commodity:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of sugar, and stocks retained by them.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.”

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955(10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Department of Food Notification No G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby orders that Order NO. F 3(4)/2002/F&S/P&C(2)/19 dated the 20th June 2002, relating to Delhi Sugar Dealers Licensing Order 1963, shall be kept in abeyance, to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order 2009 for a period of four months from the date of issue of the said Order or further order of Central Government, whichever is earlier.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi.

(J.P. AGRAWAL)
JOINT SECRETARY
FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPTT.

(दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग-4 में प्रकाशानार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य आयुक्त का कार्यालय
के-0-ब्लॉक, विकास भवन, आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली.

संख्या 3(4)/2009/एफ एण्ड एस/पी0एण्ड सी /१५।

दिनांक: 20 अप्रैल, 2009

आदेश

संख्या 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी0एण्ड सी— जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल ने दिनांक 20 जून 2002 के आदेश संख्या 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी0एण्ड सी (2)/19 के माध्यम से दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1963 को निरस्त किया था।

और जबकि केन्द्र सरकार ने अधिसूचना एस.ओ. 649(ई) दिनांक 9 मार्च, 2009 के उपभोक्ता कार्य मंत्रलाय तथा इसके खाद्य पदार्थ एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने विशिष्ट खाद्य पदार्थों (संशोधन)(लाइसेंस अपेक्षाएं, स्टाक सीमा तथा आवागमन प्रतिबंध) आदेश, 2009 जारी किया था।

और जबकि उपरोक्त आदेश के खण्ड 2,3 तथा 4 में प्रावधान हैं कि—

2 खरीद, आवागमन विक्री आपूर्ति वितरण एवं बिक्री के लिए भण्डारण के विषय में,

(लाइसेंस अपेक्षाएं, स्टाक सीमा तथा आवागमन प्रतिबंध) की समाप्ति का

आदेश, 2002 में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का कुछ उपभोक्ता पदार्थ चीनी के लिए इस आदेश के जारी होने की तिथि से चार माह की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो स्थगित रखा गया है।

3 इस आदेश में किसी भी उल्लेख से चीनी के राज्य से बाहर परिवहन, वितरण या बिक्री कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा न ही यह आदेश इस उपभोक्ता पदार्थ के आयात पर लागू होगा। उपबंध हैं कि केन्द्र या राज्य सरकार आयातकों को चीनी के स्टाक प्राप्त करने तथा उनके पास उपलब्ध स्टाक को घोषित करने का निष्कर्ष दे सकती है।

4 विक्रेता का एवं पदार्थों (राशोधन) (लाइसेंस अपेक्षाएं, स्टाक सीमा आवागमन प्रतिबंध) हटाना आदेश, 2002 के अन्य सभी उपबन्ध उक्त खण्ड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान भी प्रवृत्त रहेंगे।

इसलिए अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 9 जून, 1978 के खाद्यान्त विभाग भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जीएसआर-800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा आदेश देते हैं कि दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1963 संबंधी दिनांक 9 जून, 2002 के आदेश संख्या फा.3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी0एण्ड सी (2)/19 के आदेश इसके द्वारा विशिष्ट खाद्य पदार्थों (संशोधन)(लाइसेंस अपेक्षाएं, स्टाक सीमा तथा आवागमन प्रतिबंध) आदेश, 2009 के उपबन्धों की सीमा तक इस आदेश के जारी होने या केन्द्र सरकार के अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो स्थगित रखे जायेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(जे.पी.अग्रवाल)
संयुक्त सचिव
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग

NO.F.3(4)/2009/F&S/P&C /141

Dated: 20th April,2009

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary to the Govt.of India, Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution Department of Food & Public Distribution (10Copies) , Krishi Bhawan , New Delhi.
2. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
3. Secretary to L.G./O.S.D. to C.S./Secretary to MFS, Delhi.
4. PS to CFS.
5. Addl. Commr./Jt. Commr./ACs.F&S Department, GNCT of Delhi.
6. All FSOs,F&S Department, Delhi.
7. Suptd.Co-ordination(GAD) ,Govt. of Delhi, with Hindi version for publication in Delhi Gazette Extra-ordinary, with request to send 10 copies of Gazette Notification to the Department for official purpose.
8. Directorate of Information and Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
9. Secretary, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. Commissioner of Police, Delhi.
11. Divisional Commissioner, Delhi.
12. PS to Financial Commissioner, Delhi
13. Director, Prosecution, GNCT of Delhi
14. Registrar, Delhi High Court.
15. District and Session Judge, Tis Hazari, Patiala House and Karkardooma
16. The General Secretary, Food grains and Oil Seeds dealers Association, 156/4 Naya Bazaar Delhi
17. Delhi Grain Merchants Association (Regd.)156/4 Naya Bazaar Delhi
18. The Secretary, Vyapaar Mandal, Nazafgarh, Delhi
19. Federation of All India Food grains Dealers Association, Flat No.12, Ground Floor, 32 Alipur Road, Delhi-54.
20. FSO(Computer) F&S for n.a.

(J.P.AGRAWAL)

JOINT SECRETARY

FOOD,SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPTT.

(दिल्ली के राजपत्र (असाधारण) के भाग—4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य, आयुक्त का कार्यालय
के 0-ब्लॉक, विकास भवन, आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली.

संफा० 3(4)/2009/एफएंडएस/पीएंडसी//५५ दिनांक: 25 अप्रैल, 2009

आदेश

केन्द्रीय सरकार, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) आदेश जीएसआर 800 दिनांक 9/6/1978 तथा उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, आदेश संख्या जीएसआर 164 (अ) दिनांक 12/3/09 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश 1963 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश देते हैं—

रांकिप्त शीर्षक एवं
प्रारम्भ

1. (1) यह लाइसेंस चीनी व्यापारी लाइसेंस (संशोधन) आदेश, 2009 कहा जाएगा।
(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

खंड 3के उपखंड 5
में संशोधन

2. दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश 1963 के वर्तमान खंड 3 के उपखंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् "मुक्त चीनी ब्रिकी को कोई भी व्यापारी किसी भी समय 2000 विंटल निर्वात क़ड़ाह (व्यक्यूम पैन शुगर) से ज्यादा मात्रा में भंडारण नहीं करेंगे। अन्य कोई व्यक्ति किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी समय 25 विंटल चीनी से ज्यादा भंडारण नहीं करेंगे, जबतक आयुक्त या इस कार्य के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी ने उसे अनुमति न दी हो। कोई भी व्यापारी व्यक्यूम पैन शुगर का स्टाक प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन की अवधि से ज्यादा स्टाक नहीं करेगा।

परंतु यह है कि इस आदेश की कोई बात, निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गए चीनी के स्टाक को लागू नहीं होगी—

- (1) सरकारी मद्दे स्टाक, या
- (2) किसी राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित मान्यताप्राप्त व्यौहारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से विरण के लिए रखे गया स्टॉक, या

(To be Published in Part IV of the Delhi Gazette Extra-ordinary)
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER: FOOD, SUPPLIES &
CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

NO.F.3(4)/2002/F&S/P&C /110

Dated: the 9th March,2009


ORDER

NO.F.3(4)/2002/F&S/P&C :- Whereas the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution vide Notification No S.O 2248(E), dated the 22nd September, 2008 has amended the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002,as amended upto date earlier and in Para 3, after the proviso, inserted the following Explanation, namely:-

"Explanation: If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that Part of his or her stocks are sourced from imports, then these would be excluded for the purpose of calculation of stock limit"

Now therefore, Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955(10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) Notification No G.S.R. 452(E) dated the 25th October, 1972, further amends the Government of National Capital Territory Delhi, Department of Food & Supplies Order No. F.3(4)/2002/F&S/P&C/2602, dated 7th November 2008 relating to the Delhi Wheat (Licensing and Control)Order,1996 and the Delhi Pulses (Licensing of Dealer)Order,1974 and inserts the aforesaid "Explanation" after the proviso in Para 3 of the aforesaid order dated 22nd September, 2008.

By order and in the name of the
**Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi.**



(R.T.L. D'SOUZA)
JOINT COMMISSIONER
FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPTT.

(दिल्ली के राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
आयुक्त कार्यालय: खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्य-कलाप
केंद्र-ब्लॉक, विकास भवन, आई०पी०इस्टेट, नई दिल्ली.

संफा० ३(४) / २००२ / खा० एवं स० / पीएंड सी / /० दिनांक: ९ मार्च, २००९

आदेश

संफा० ३(४) / २००२ / खा० एवं स० / पीएंड सी / — जबकि उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक २२ सितम्बर, २००८ की अधिसूचना संख्या एसओ २२४८(ई) द्वारा पहले अद्यतन रूप से संशोधित विशिष्ट खाद्य पदार्थ (लाईसेंस अपेक्षाएं, भंडारण सीमा एवं आवागमन प्रतिबंध) आदेश २००२ को संशोधित किया था तथा पैरा ३ में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण सन्निविष्ट किया था, अर्थातः—

“ स्पष्टीकरण :— यदि थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता या व्यापारी यह दर्शा सकता है कि उसका स्टाक आयात किया गया हैं तो इसे भंडारण सीमा के परिकलन की दृष्टि से निकाल दिया जाएगा । ”

अतः अब कृषि मंत्रालय, (खाद्य विभाग) की दिनांक २५ अक्टूबर, १९७२ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर ४५२(ई) के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल दिल्ली दाल (लाईसेंसिंग व्यापारी) आदेश, १९७४ तथा दिल्ली गेहूँ (लाईसेंस नियंत्रण) आदेश, १९९६ से संबंधित ७ नवम्बर, २००८ के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग आदेश संख्या संफा० ३(४)२००२ / खा० एवं स० / पी एंड सी / २६०२ में आगे संशोधित करते हैं तथा उपरोक्त “स्पष्टीकरण” को उपरोक्त दिनांक २२ सितम्बर, २००८ के आदेश के पैरा ३ के परन्तुक के पश्चात् सन्निविष्ट करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर

(आर०टी०एल०डिसूजा)

संयुक्त सचित,

खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्य विभाग,

संफा० ३(४) / २००२ / खा० एवं स० / पीएंड सी / /० दिनांक: ९ मार्च, २००९
प्रतिलिपि अग्रसारितः—

१. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली (१० प्रतियाँ)।
२. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
३. उपराज्यपाल के सचिव/मुख्य सचिव के विशेष अधिकारी/खाद्य आपूर्ति मंत्री के सचिव, दिल्ली।
४. खाद्य आपूर्ति आयुक्त के व्यक्तिगत सचिव।
५. समस्त आतिरिक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली सरकार।
६. समस्त खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, आपूर्ति विभाग, दिल्ली।

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary to the Govt.of India, Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution Department of Food & Public Distribution (10Copies) , Krishi Bhawan , New Delhi.
2. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
3. Secretary to L.G./O.S.D. to C.S./Secretary to MFS, Delhi.
4. PS to CFS.
5. Addl. Commr./Jt. Commr./ACs.F&S Department, GNCT of Delhi.
6. All FSOs,F&S Department, Delhi.
7. GAD(Co-ordination) ,Govt. of Delhi, with Hindi version for publication in Delhi Gazette Extra-ordinary, with request to send 10 copies of Gazette Notification to the Department for official purpose.
8. Directorate of Information and Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
9. Secretary, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. Commissioner of Police, Delhi.
11. Divisional Commissioner, Delhi.
12. PS to Financial Commissioner, Delhi
13. Director, Prosecution, GNCT of Delhi
14. Registrar, Delhi High Court.
15. District and Session Judge,Tis Hazari, Patiala House and Karkardooma
16. The General Secretary, Food grains and Oil Seeds dealer Association, 3979 Naya Bazaar Delhi
17. Delhi Grain Merchants Association (Regd.)156/4 Naya Bazaar Delhi
18. The Secretary, Vyapaar Mandal, Nazafgarh, Delhi
19. Federation of All India Food grains Dealers Association, Flat No.12, Ground Floor, 32 Alipur Road, Delhi-54.



(R.T.L. D'SOUZA)

JOINT COMMISSIONER
FOOD,SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPTT.
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

५

(दिल्ली के राजपत्र भाग—4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

खाद्य संभरण एवं उपभोक्ता कार्य—कलाप विभाग

के ०—ब्लॉक, विकास भवन, आई०पी०इस्टेट, नई दिल्ली.

संफा० ३(४) / २००२ / खा० एवं स० / पीएंड सी / ७७ दिनांक: ०५ मार्च, २००९

आदेश

संफा० ३(४) / २००२ / खा० एवं स० / पीएंड सी / — जबकि उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक २२ सितम्बर, २००८ की अधिसूचना संख्या एसओ २२४७(ई) द्वारा पहले अद्यतन रूप से संशोधित विशिष्ट खाद्य पदार्थ (लाइसेंस अपेक्षाएं, भंडारण सीमा एवं आवागमन प्रतिबंध) आदेश २००२ को संशोधित किया था तथा पैरा ३ में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण सन्निविष्ट किया था, अर्थातः—

“ स्पष्टीकरण :— यदि थोक विकेता या खुदरा विकेता या व्यापारी यह दर्शा सकता है कि उसका स्टाक आयात किया गया है तो इसे भंडारण सीमा के परिकलन की दृष्टि से निकाल दिया जाएगा।”

अतः अब कृषि मंत्रालय, (खाद्य विभाग) की दिनांक २५ अक्टूबर, १९७२ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर ४५२(ई) के साथ पठित झावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल दिल्ली खाद्यान्न एवं तिलहन व्यापारी लाइसेंस आदेश, १९८८ से संबंधित १२ मार्च, २००८ के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग आदेश संख्या संफा० ३(४)२००२ / खा० एवं स० / पी एंड सी / २००९ तथा दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस एवं नियंत्रण) आदेश, १९७७ में आगे संशोधित करते हैं तथा उपरोक्त “स्पष्टीकरण” को उपरोक्त दिनांक, २२ सितम्बर, २००८ के आदेश के पैरा ३ के परन्तुक के पश्चात् सन्निविष्ट करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर

कृति

(आर०टी०एल०डिसूजा)

संयुक्त सचिव,

खाद्य एवं उपभोक्ता कार्य विभाग,

संफा० ३(४) / २००२ / खा० एवं स० / पीएंड सी / ७७ दिनांक: ०५ मार्च, २००९

प्रतिलिपि अग्रसारितः—

१. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली (१० प्रतियां)।
२. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
३. उपराज्यपाल के सचिव/मुख्य सचिव के विशेष अधिकारी/खाद्य आपूर्ति मंत्री के सचिव, दिल्ली।
४. खाद्य आपूर्ति आयुक्त के व्यक्तिगत सचिव।
५. समस्त आतिरिक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली सरकार।
६. समस्त खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, आपूर्ति विभाग, दिल्ली।

7. उप सचिव (समन्वय); राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली के राजपत्र के भाग 4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ। कृपया कार्यालयी प्रयोग के लिये इस विभाग को राजपत्र की 10 प्रतियां भिजवाएं।
8. सूचना एवं प्रसार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली
9. सचिव, दिल्ली विधानसभा; पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10. पलिस आयुक्त, दिल्ली
11. मंडल आयुक्त, दिल्ली।
12. वित्त आयुक्त दिल्ली के व्यक्तिगत सचिव।
13. निदेशक, अभियोजन, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
14. पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
15. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी, पटियाला हाउस, कड़कड़ूमा।
16. महासचिव, खाद्यान्न एवं तिलहन व्यापारी संघ, 3979, नया बाजार, दिल्ली।
17. दिल्ली आनाज व्यापारी संघ, 156/2, नया बाजार, दिल्ली।
18. सचिव, व्यापारी मंडल, नजफगढ़, दिल्ली।
19. अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ, फ्लैट नं० 12, भू-तल, अलीपुर रोड दिल्ली।


 (आर०टी०एल० डि॒सूजा)
 संयुक्त सचिव
 खाद्य एवं उपभोक्ता कार्य विभाग